न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/79/2021	2021/187	08.10.2021	09.12.2025

1.सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, लक्ष्मणगढ अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री संजय कुमार पुत्र मंगलराम तेली निवासी नगर जिला भरतपुर।
02. श्री विपिन गोयल पुत्र नानक चन्द जाति वैश्य निवासी नगर जिला भरतपुर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 बाबत राजसात किये जाने केरोसीन नीले रंग का 220 लीटर व एक पिकअप RJ-05G—2976।

अनुपस्थितः—
01. प्रवर्तन अधिकारी — —विभागीय प्रतिनिधि
02. अप्रार्थीगण — —अप्रार्थीगण

—:निर्णयः—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 बाबत राजसात किये जाने केरोसीन नीले रंग का 220 लीटर व एक पिकअप त्श्र.05ळ—2976 को राजसात करने हेतु पेश किया है जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि दिनाक 09.11.08 गोविन्दगढ़ थाने से पुलिस द्वारा एक पिक—अप गाडी नम्बर आर०जे०—05जी—2976 महेन्द्रा से एक ड्रम कैरोसीन नीले रंग का 220 लीटर ररा हुआ ले जाते हुये पकड़ा उन्होने बताया कि उक्त कैरोसीन उपभोक्ताओं के ईकट्ठा किया गया था तथा कृषि कार्य हेतु नगर ले जाया जा रहा था। जॉच बाद निम्न तथ्य सामने आये। श्री संजय कुमार पुत्र श्रीमगलराम तेली व श्री विपिन गोयल पुत्र नानक चन्द प्राधिकार पत्र धारक उचित मूल्य दुकानदार प्राधिकार पत्र धारक थोक विक्रेता नही है। श्री संजय कुमार व विपिन के द्वारा उक्त करोसीन बाबत किसी सक्षम अधिकारी से कोई परमिट प्राप्त नहीं किया गया है। वक्त जॉच देखने पर केरोसीन नीले रंग का प्रतीत होता है जो सावर्जनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्डो पर उचित मूल्य पर देय है तथा जो खाना बनाने व रोशनी करने के काम में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। जबकि उक्त व्यक्तियो द्वारा इसे कृर्षि कार्य में प्रयोग में लिया जाना बताया है। इस प्रकार श्री संजय कुमार पुत्र मगल राम तेली व श्री विपिन गोयल द्वारा केरोसीन का अवैध व्यपार किया जाना पाया जाता है। जो राजस्थान खाद्याान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 का स्पस्ट उल्लंघन है। तथा केरोसीन (Restriction on use and Ceiling price) वतकमत 1993 का उल्लंघन होना भी पाया जाता है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय है। अतः मोके पर उक्त कैरोसीन मय ड्रम तथा पिकप को कब्जे राज लिया गया। तथा केरोसीन को श्री सुदेश कुमार शर्मा उचित मूल्य दुकानदार गोबिन्दगढ़ को तथा पिकअप को थाना गोबिन्द्रगढ को सुपर्दनामे में दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैकि उक्त नीले रंग का कैरोसीन 220 लीटर व आर० जे०—05जी—2976 पिकअप महेन्द्रा कम्पनी को राजसात करने की कृपा करे।

श्री मंगलराम पुत्र लक्ष्मीराम तेली, जाति तेली, मंदिर वाली गली, नगर जिला भरतपुर मालिक वाहन ने प्रार्थना पत्र पेश कर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामा पर देने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर विचार कर वाहन के खड़े रहने से खराब होने का अंदेशा होने के कारण मंगलराम को 3,00,000/— रूपय (तीन लाख रूपये) की जमानत व इसी कदर का सुपुर्दनामा पेश करने पर उक्त वाहन सुपुर्दगी में इस शर्त के साथ दिया गया कि जब भी इस न्यायालय को या किसी न्यायालय को वाहन की आवश्यकता होगी प्रार्थी अपने खर्चे से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

उक्त वाहन को अदालत में पेश करेगा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। बावजूद रजिस्टर्ड तलबी अप्रार्थी अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि करने से स्पष्ट है कि यह प्रकरण पूर्व में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा दिनांक 10.06.2009 को निर्णित किया जा चुका है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जप्तशुदा वाहन RJ-05G-2976 एवं 220 लीटर नीले रंग के केरोसीन मय ड्रम को राजसात किये जाने हेतू निर्देश जारी किये गये थे। तदउपरान्त न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के निर्णय की अपील माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01 अलवर में प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2009 में जब्तशुदा पिकअप वाहन नम्बर आर.जे.05-जी-2976 की नीलामी के संबंध में अपास्त किया गया और निर्देश दिये गये कि सुपुर्ददार से वाहन उक्त आदेशानुसार अपने कब्जे में लेने के उपरांत पुनः नियमानुसार वाहन की सुपुर्दगी बाबत् उचित आदेश पारित पर करें।

न्यायालय हाजा द्वारा पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम में प्रकरण विचाराधीन होने के दौरान श्री मंगलराम पुत्र लक्ष्मीराम तेली, जाति तेली, मंदिर वाली गली, नगर जिला भरतपुर मालिक वाहन ने प्रार्थना पत्र पेश कर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामा पर देने का निवेदन किया था। प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। यदि वाहन खडा रहता है तो उसके खराब होने का अंदेशा रहता है तथा प्रार्थी/वाहन मालिक को आर्थिक/अपूर्णीय क्षति हो सकती है। प्रार्थी मंगलराम द्वारा 3,00,000/-रूपये (तीन लाख रूपये) की जमानत व इसी कदर का सुपुर्दनामा पेश करने की शर्त पर ही वाहन सुपुर्द करने हेतु निवेदन किया गया था साथ ही हलफनामा दिया कि जब भी न्यायालय को या किसी न्यायालय को वाहन की आवश्यकता होगी प्रार्थी अपने खर्चे से उक्त वाहन को अदालत में पेश करेगा। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर गहनता से विचार किया गया। यदि उक्त वाहन प्रार्थी को सुपुर्दगी पर नहीं दिया जाता है तो प्रार्थी को आर्थिक क्षति होगी। चूकि प्रार्थी द्वारा हलफनामा भी दिया गया है कि यदि न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वह स्वयं के खर्चे पर न्यायालय में पेश करेगा। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं शर्तो को ध्यान में रखते हुए वाहन को सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, केरोसीन नीले रंग का 220 लीटर को राजसात किये जाने की हद तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जात है तथा पिकअप गाडी संख्या RJ-05G-2976 को नियमानुसार 3,00,000/-रूपये (तीन लाख रूपये) की जमानत/हैसीयत व इसी कदर का सुपुर्दनामा पेश करने एवं जब भी इस न्यायालय को या किसी अन्य न्यायालय को वाहन की आवश्यकता होगी तो प्रार्थी अपने खर्चे से उक्त वाहन को अदालत में पेश करेगा की शर्तो के साथ सुपुर्दगी पर दिया जाता है। श्री मंगलराम पुत्र लक्ष्मीराम उक्त शर्तों को पूरा कर वाहन की सुपुर्दगी हेतु पत्र/आदेश प्राप्त करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर, जिला अलवर राज0 को पालनार्थ भिजवाई जावें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार